न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—357/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/357)

1. अर्जुन सिंह पुत्र श्री मोड सिंह
2. पृथ्वी सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह
3. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री जवान सिंह
4. ममता कंवर पुत्री श्री जवान सिंह
5. ललिता कंवर पुत्र श्री जवान सिंह
6. सज्जन कंवर पत्नी श्री जवान सिंह
   समस्त जाति राजपूत, निवासीगणः— ग्राम किराप, तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

अपीलांट

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री मोहनलाल, जाति भांभी
2. धापू कंवर पत्नी श्री भैरू सिंह (मृतक)
   2/1 जोध सिंह पुत्र श्री भैरू सिंह
   2/2 राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भैरू सिंह
3. लादी पत्नी रतन लाल (मृतक)
   3/1 गणेशी लाल पुत्र रतन लाल
   3/2 सोदान पुत्र रतन लाल
   3/3 महावीर पुत्र रतन लाल
4. अर्जुन सिंह पुत्र जवान सिंह समस्त निवासीगण ग्राम किराप तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
5. सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील मसूदा, जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2025 राजस्व वाद संख्या 117/2024 (2024/348)

उपस्थितः—

1. श्री अभिषेक शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रूपक शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 5
4. रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 4 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 28.04.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 117/2024 (2024/348) में पारित आदेश दिनांक 06.06.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश दिनांक 06. 06.2025 को पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 117/2024 (2024/348) में पारित आदेश दिनांक 06.06.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 4 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्त्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया कि उक्त मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण द्वारा असहमति जाहीर की यह अंकित है फिर भी आपत्ति आने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने हाल अपीलांट को उक्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया जो कि राजस्व नियम 69 की अवहेलना है जो कि एक आवश्यक प्रावधान है तथा गलत मौका रिपोर्ट जो कि उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के विपरित है के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2025 पारित करने में घोर कानूनी भूल की है इस आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.06.2025 काबिल निरस्तनीय है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पर वैकल्पिक सस्ता मौजूद है यहां पर सुविधा के लिए अन्य रास्ता नहीं दिया जा सकता है। हाल अप्रार्थी जगदीश प्रसाद के खेत खसरा संख्या 2753 में आने जाने हेतू प्रचलित रास्ता जो कि पूर्व के नक्शें सन् 1970–71 में दर्शाया हुआ है जो कि खसरा संख्या 2727, 2729, 2757, 2756 में बतौर रास्ता नक्शे में डॉटेड लाईन से दर्शाया हुआ है परंतु हाल अप्रार्थी जगदीश प्रसाद के द्वारा गलत रूप से उनको पक्षकार मुर्तिब नहीं किया गया है क्योंकि वह हाल अप्रार्थी जगदीश प्रसाद के रिश्तेदार है तथा जानबूझकर हाल प्रार्थी को परेशान करने की नीयत से यह प्रकरण हाल प्रार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाल अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो पूर्णतः विधि विरुद्ध हैं। इस प्रकार रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरित जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिनांक 06.06.2025 पारित किया है काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्त्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया कि जो उपलब्ध रास्ता है जो कि नक्शे में दर्शाया हुआ है ऐसे स्थिति में नये वैकल्पिक रास्ते हेतु हाल अप्रार्थी संख्या 01 का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियग प्रथम दृष्ट्या संधारण योग्य नहीं था परंतु फिर भी उन्होनें हाल अप्रार्थी संख्या 01 का प्रार्थनपत्र स्वीकार करने में घोर कानूनी त्रुटि की है। न्यायालय के आदेश दिनाक 27.09.2024 के द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी तहसीलदार मसूदा द्वारा खुद मौके पर ना जाकर पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट बनवाकर

प्रस्तुत कर दी गई जबकि कानूनी प्रावधानानुसार उनको उक्त रिपोर्ट स्वयं जाकर बनवानी चाहिए थी इसके अतिरिक्त उक्त मौका रिपोर्ट साइक्लो स्टाईल फॉर्म भरकर बनवाई गई जो पूर्णतः विधि के प्रावधानों के विपरित है और अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व नियम 69 के उक्त नियमों की अवहेलना करते हुए उक्त आदेश 06.06.2025 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किए केवल मात्र सरसरी तौर पर रिकॉर्ड पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2025 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर पेश किया गया है जो कि कानूनन रूप से पोषणीय नहीं है तथा विधि विरुद्ध है क्योंकि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 06 धापू कंवर पत्नी गैरू सिंह व प्रार्थी संख्या 10 लादी पत्नी रतन लाल की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी थी बावजूद इसके उनको पक्षकार मुर्तिब किया गया है। प्रार्थी जगदीश प्रसाद पुत्र श्री गोहन लाल अपने खेत खसरा संख्या 2753 में आने जाने हेतू वर्तमान में खसरा संख्या 2761. 2760, 6132/2757 व 2756 में से रास्ते का उपयोग कर रहा है तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में उक्त खसरान में से होकर रास्ता होना बताया है तथा उक्त खसरों की आराजी जगदीश प्रसाद के पारिवारिक व रिश्तेदारों की भूमीयां है परंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश दिनांक 06. 06.2025 पारित करने में कानूनी भूल की है जो कि काबिले निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 117/2024 (2024/348) में पारित आदेश दिनांक 06.06.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि मौजा किराप पटवार हल्का किराप तहसील मसूदा में खसरा नंबर 2753 की भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है जिन पर प्रार्थी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतू सदियों से खसरा नंबर 2762, 2759, 2758 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से होकर चला आ रहा है। प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतू उक्त भूमियों के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपने रास्ते के रूप में दी जाने वाली भूमि की राजकीय दर से डीएलसी भुगतान हेतू तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर प्रार्थी को 20 फीट चौडा मार्गाधिकार उपलब्ध कराया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 06.06.

2025 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 के तहत अप्रार्थी संख्या 6 व 10 के मृतक होने की सूचना भी प्रेषित की गई थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के विरूद्ध प्रकरण में निर्णय पारित किया व इनके वारिसानों को रिकार्ड पर लिए बिना प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.11.2024 को तैयार मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 2753 में आवागमन हेतु रास्ता खसरा नम्बर 2762, 2759, 2758 व 2761, 2760, 6132/2757, 2756 के मध्य स्थित मेड जिसको नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है पर स्थित पगडंडी तथा खसरा नम्बर 2754 (गै0मु0 चाह) के फेरे की भूमि का उपयोग लिया जा रहा है।

मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख होने के बावजदू भी खसरा नम्बर 2753 में आवागमन हेतु रास्ता खसरा नम्बर 2762, 2759, 2758 में से दिए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा आपत्ति भी व्यक्त की गई थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति का निस्तारण किए बिना ही प्रकरण में रास्ता कायामी के आदेश पारित कर प्रकरण का निस्तारण किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2753 में आवागमन हेतु मध्य स्थित मेड से आवागमन किया जा रहा है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 2762, 2759, 2758 के खातेदारों/अपीलांट्स के खेत से ही रास्ता कायामी के आदेश पारित किए गए। जिससे अपीलांट्स के खेत का रकबा ही रास्ते के रूप में प्रयुक्त किया गया। जबकि खसरा नम्बर 2753 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2761, 2760, 6132/2757, 2756, 2754 में से भी कुछ रकबा रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जा सकता था, जिससे दोनों तरफ के खातेदारों की भूमि का बहुत कम रकबा रास्ते के रूप में उपयोग किया जाता, जैसा कि मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 2761, 2760, 6132/2757, 2756 व 2754 के खातेदारों को प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित कर खसरा नम्बर 2753 में आवागमन हेतु रास्ता खसरा नम्बर 2762, 2759, 2758 व 2761, 2760, 6132/2757, 2756 के मध्य स्थित मेड जिसको नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है में से दोनों तरफ से बराबर–बराबर चौडाई का रास्ता दिया जाए इस आशय की मौका रिपोर्ट तलब कर उसी अनुसार प्रकरण में निर्णय पारित करें।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 117/2024 (2024/348) में पारित आदेश दिनांक 06.06.2025 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन

निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि खसरा नम्बर 2761, 2760, 6132/2757, 2756 व 2754 के खातेदारों को प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित कर प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नियम 69 की पालना करते हुए पुनः नए सिरे से खसरा नम्बर 2762, 2759, 2758, 2761, 2760, 6132/2757, 2756 व 2754 की सम्मिलित मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर व दोनों तरफ के खसरों की भूमि में से बराबर–बराबर चौडाई का रास्ता मौका रिपोर्ट में व नजरी नक्शे में दर्शाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार कर सुनवाई उपरांत प्रकरण में पुनः न्याय संगत व विधि संगत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.05.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर